न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2115–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–4–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 56/2011–12/अपील.

सरूआ पुत्र धनुआ आयु लगभग 70 वर्ष
जाति जाटव निवासी ग्राम कालीपहाड़ी
(ढंग्गा) तहसील करैरा जिला शिवपुरी .....आवेदक

विरूद्ध

1– जसबंत सिंह पुत्र देवीसिंह यादव
निवासी ग्राम कालीपहाड़ी
तहसील करैरा जिला शिवपुरी
2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी .....अनावेदकगण

श्री जी.पी. नायक, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश 26–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कालीपहाड़ी स्थित अतिशेष शासकीय भूमि हरिजन/आदिवासी को बंटन किये जाने की शासन योजना के अन्तर्गत तहसीलदार, करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 32/2001–02/अ–19 दर्ज किया जाकर प्रकरण में इस्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं पटवारी से अनुसचित जाति/जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों की सूची प्राप्त की जाकर नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 22–6–02 को आदेश पारित कर आवेदक को सर्वे नम्बर 20 मिन रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि का बंटन किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–4–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–6–2002 को आवेदक के पक्ष में आबंटित भूमि सर्वे नम्बर 20 मिन रकबा 0.60 हेक्टेयर की पात्रता नहीं होने से आबंटन निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय घोषित किए जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को न तो व्यक्तिशः सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत इस्तहार का प्रकाशन कराया गया है । यदि अनावेदक को आवेदक के आवेदन पत्र पर

आपत्ति थी तो उन्हें नियत समय में आपत्ति की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कब्जे के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि आवेदक ने पट्टे की भूमि को परिश्रम एवं धन खर्च कर कृषि योग्य बना लिया गया है, जिस पर उसका ट्यूबवैल एवं विद्युत कनेक्शन लगा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 9 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर कोई विचार नहीं कर अपील स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक के कब्जे की भूमि है, जिस पर वह बीस वर्ष से भी अधिक समय से काबिज है । वादग्रस्त भूमि को अनावेदक द्वारा अपनी मेहनत एवं धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा इस्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही कब्जेदार अथवा पड़ौसी कास्तकारों को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि चूंकि तहसीलदार द्वारा आवेदक को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है, इसलिए उसे तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं हो सकी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में उनके द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक के नाम रामनगर, तहसील करैरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 491 रकबा 1.52 हैक्टेयर, सर्वे कमांक 226 रकबा 1.76 हैक्टेयर तथा सर्वे कमांक 492 का रकबा 0.43 हेक्टेयर भूमिस्वामी स्वत्व पर है । इससे स्पष्ट है कि आवेदक भूमिहीन कृषक नहीं है, जबकि शासन की योजना के अन्तर्गत भूमिहीन हरिजन एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ही भूमि आबंटन किये जाने के निर्देश हैं । स्पष्ट है

कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि आबंटन करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का आबंटन निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत आवेदक को सूचना पत्र तामील कराया जाकर आदेश पारित किया गया है, अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह कहना उचित नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर